

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु.नं ४९ तारीख रज् २१-१२-१६

उमवान - जगदीश प्रसाद बनाम गुडीदेवी

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री मदन मोहन शर्मा Adv. ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। जमा बन्दी व शपथपत्र का अवलोकन लिया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्र कर अप्रार्थीग को जीरिये नोटिस से तालब कर पत्रावली दि 26.12.16 को पेश हो।

उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

3824-26  
21-12-16

26.12.16

प्रार्थी वकील उपनं अर्थात् नं. 1 स्वयं उपस्थित। अर्थात् नं. 2 अजगूद सूचना उपस्थित नहीं थी उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती थी प्रतिवादी नं. 3 का नोटिस रजिस्टर्ड 23.12.16 को भिजवाया है प्रार्थी वकील ने अंतर्गम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर बहस की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया उपम दृष्ट्या यह मामला सापलान के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः ऊपर सापलान को अंतर्गम अस्थायी निषेधाज्ञा से वाबंद किया जाता है कि गुप्त अजीजपुर की भूमि ख. नं.  $\frac{850}{0.23}$ ,  $\frac{851}{0.03}$

गुडी

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा  
फर्द अहकाम

दिनांक	
	<p>052 / 013, 053 / 005, 969 / 031 कुलमिला 5 कुल रकम 0.75 हों ताथा (ब.नं. 054 / 011, 055 / 007, 056 / 003, 057 / 005 कुलमिला 5 कुल रकम 0.82 हों में आगा कुलकित 10 रुका - 57</p>
	<p>सुनवाई लिखी तक लिखा एवं मोके की प्रथा स्थिति को पत्रावली के लिए जम्बब व इतजाप ताभील दिनांक 25-11 को पेश हो।</p>
	<p>उप जिला कलेक्टर टोडा (पीएम)</p>
<p>25-1-17</p>	<p>अर्धी वकील उप. / अर्धी नं. 1 उपस्थित नहीं / एके के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है व इतजाप ताभील अर्धी नं. 3 दिनांक 2-3-17 को पेश हो।</p>
<p>2-3/17</p>	<p>गवली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन आ गया है। गतानुसार दिनांक 24-3-17 को पेश हो।</p>
<p>24-3-17</p>	<p>अर्धी वकील उप. / अर्धी नं. 3 का रजि. नोटिस पोस्ट आगिस की (सीड डि. 23-12-16 की पेश की। एक माह से ज्यादा समय हो गया है ताभील मानी जाती है तथा अर्धी नं. 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है व इतजाप दिनांक 26-4-17 को पेश हो।</p>

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

14/12 प्रार्थी वकील उपस्थित। वहस दुनीगर्षा प्रार्थी वकीलने प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथो को दोहरोत दुए दिनांक 26/12/16 को जारी की गर्ष अंतरिम अस्था निषेधाज्ञा को कन्फर्म कने का निवेदन किया। वहस पर मनन कते दुए दिनांक 26/12/16 को जारी की गर्ष अंतरिम अस्था निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जात। पत्रावली फंसल शुभा होबा नभवेत कम होबा दावा पत्रावली के साथ सैलन की जात।